<u>महत्वपूर्ण/तत्काल</u>

<u>संख्या-/1/2023/337/12-1-23-200(4) 915टीसी</u>

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2023

विषयः- मुख्यालय स्तर पर रिक्त पदों के प्रभार एवं प्रभार परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1242/12-1-15-200(4)/15टीसी दिनांक 16.07.2015 द्वारा यह स्थायी आदेश निर्गत हैं कि प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के कार्य आवंटन को कृषि निदेशक द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त परिवर्तित किया जायेगा तथापि शासन के संज्ञान में यह आया है कि कृषि निदेशालय पर कार्यरत अधिकारियों का प्रभार बिना शासन के अनुमोदन के या तो बदल दिया जा रहा है या पद रिक्त होने की दशा में नया प्रभार दिया जा रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि इस प्रकार जो भी प्रभार/कार्य आवंटन बदले गये हों या रिक्त पदों के प्रभार दिये गये हों, उनका शासन के अनुमोदन/आदेश हेतु प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कृपया कष्ट करें और भविष्य में कृषि निदेशालय स्तर पर प्रभार/कार्य आवंटन में परिवर्तन तथा रिक्त पदों का प्रभार शासनादेश दिनांक 16 जुलाई, 2015 का अनुपालन करते हुए ही किये जाने का कृपया कष्ट करें।

<u>संलग्नक</u>-शासनादेश दिनांक 16.07.2015

भवदीय,

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-337(1)/12-1-23 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि- गार्डबुक हेतु।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1242/12-1-15-2004(4)/15टीसी

प्रेषक,

ए0पी0 त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2015

विषयः- निदेशालय के मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के कार्य आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर निदेशालय के मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के कार्य आवंटन को कृषि निदेशक, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त परिवर्तित कर सकेंगे। कृपया भविष्य में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ए0पी0 त्रिपाठी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।